

कार्यालय आदेश सं०:- 1138/NG/Engg/SPJ

मंडल रेल प्रबंधक (का0)/समस्तीपुर के ज्ञापन सं०:-का/239/तृतीय श्रेणी/अनु/गो0/19, दिनांक 12.09.2019 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकम्पा के आधार पर अभियंत्रण विभाग में ट्रैकमेन्टेनर -IV,वेतन लेवल-1 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाए गए हैं तथा जो वांछित चिकित्सा श्रेणी में सुयोग्य घोषित हैं, की नियुक्ति अस्थायी रूप से इनके नाम के सामने अंकित पद वेतन लेवल एवं कार्यस्थल पर की जाती है। इन्हे समय समय पर स्वीकार्य भत्ता नियमानुसार देय है तथा वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	चिकित्सा श्रेणी/प्रमाण पत्र सं०/ दिनांक	जन्म तिथि	समुदाय	पद एवं पे लेवल	योग्यता	पदस्थापना/ स्टेशन	पदस्थापना पर वेतन निर्धारण
01	मो.सरफराज खॉ पिता-स्व० भोला	Fit for Aye one (A-1)& Below without glasses vide Sr. DMO/SPJ's medical certificate No-.16/14 Dt.01.12.2016	07.12.1993 (सात दिसम्बर उन्नीस सौ तिरानवे)	सामान्य	ट्रैकमेन्टेनर -IV,वेतन लेवल-1	मैट्रिक	SSE/P.Way/ West/NKE Under ADEN /NKE	₹18000/- (लेवल-01)

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी है। इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी के साथ लागू होती हैं। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने या शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर या माता /पिता /पति पत्नी /बच्चों जैसा भी मामला हो के साथ तथा परिवार के अन्य सदस्यों की देख रेख नहीं किये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

आवश्यकतानुसार इन्हे प्रादेशिक सैन्य सेवा रेलवे इंजिनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक प्रादेशिक सेवा में तीन वर्षों तक या आवश्यकतानुसार जो अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना से शासित होंगे।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।



पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

(आर.आर.लकडा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर

दिनांक- 10.10.2019

सं०:- का/227/नियुक्ति/टी0एम0/अभि/सम,
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वमइ/(समन्वय) सम0
2. वमविप्र/सम0
3. समई/नरकटियागंज
4. सिसेइ (रेल पथ) पश्चिम, नरकटियागंज
5. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयू/सम0, अजा0-अजजा0, एवं ओबीसी एशो0/सम0
6. संबंधित कर्मचारी
7. अभिलेख हेतु।

मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर